408/

दर अनुबन्ध--पत्र

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद--।

संख्या--आधु0सेल--101--2014 दिनांक: नवम्बर 1, 2014

सेवा में,

मे0 भारतीय महिला खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थान,
वार्ड नं. 8, ग्राम मोहब्बेवाला,
देहरादून(उत्तराखण्ड)--248001

विषयः-- उ0प्र0 पुलिस विभाग को खाकी जैकेट की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया पुलिस मुख्यालय के टेण्डर सं0 आधु0 सेल--101--2014 दि0 30--04--2014 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पुलिस विभाग के उपयोग में लाये जाने वाले उपकरणों के कयार्थ दर अनुबन्ध हेतु प्रस्ताव मांगे गये थे।

2-- उपरोक्त सम्बन्ध में आपकी फर्म द्वारा खाकी जैकेट हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण तकनीकी समिति द्वारा किये जाने पर उपयुक्त पाये क्रय समिति द्वारा निर्धारित की दरों एवं स्पेशीफिकेशन आधार पर किया जाता है। खाकी जैकेट की दरें एवं अन्य शर्तो का विवरण निम्नानुसार हैः--

कम	उपकरण/वस्तु का नाम	स्पेशीफिकेशन	दर प्रति अदद	टेक्स	कुल मूल्य (सभी करों सहित)
1--	खाकी जैकेट (सभी साइजों में)	परिशिष्ट--1 पर संलग्न	रू0 940/--	सहित	रू0 940/--

शर्तेः--

1-- खाकी जैकेट की आपूर्ति केता इकाई के गन्तव्य स्थल पर कयादेश प्राप्ति की दिनांक से 30 दिवस के भीतर सुनिश्चित की जायेगी।

2-- केता इकाई द्वारा गठित निरीक्षण समिति के माध्यम से निर्धारित मानक (**Specification**) के अनुसार निरीक्षण कराकर उपयुक्त पाये जाने पर ही आपूर्ति स्वीकार की जायेगी।

3-- केता इकाई द्वारा खाकी जैकेट का नियमानुसार लैब टेस्ट कराया जायेगा, लैव टेस्ट पर आने वाले व्यय का वहन केता द्वारा तभी किया जायेगा, जब उपकरण लैब टेस्ट में उपयुक्त पाया जायेगा अन्यथा फर्म को वहन करना पड़ेगा।

4-- निरीक्षण हेतु आइटम के प्रस्तुत करने से पूर्व वस्तु के ऐसे स्थान पर फर्म का नाम व आपूर्ति का वर्ष इस भांति अंकित किया जायेगा कि वह न तो वह बाहर से दृष्टिगोचर हो सके और न धोने से मिट सके।

5-- संतोषजनक आपूर्ति पूर्ण होने पर फर्म द्वारा बिल 04 प्रतियों में भुगतान हेतु सम्बन्धित केता इकाई को प्रेषित किया जायेगा। बिल की प्रत्येक प्रति पर प्रमाणित किया जायेगा कि सम्बन्धित आपूर्ति के विषय में यह प्रथम बिल है।

6-- प्रस्तुत बिल पर फर्म का पैन नं0 (स्थायी खाता संख्या) अवश्य अंकित करें अन्यथा बिल मान्य नहीं होगा।

7-- बिल का भुगतान माल की आपूर्ति प्राप्त होने तथा शतप्रतिशत चेक हो जाने के उपरान्त 30 दिवस के अन्दर कयादेश निर्गत करने वाली इकाई द्वारा किया जायेगा।

8-- 30 दिवस के अन्दर भुगतान किये जाने की दशा में 1/2 प्रतिशत रिबेट देय होगा।

संशोधित मानक (Specification) खाकी जैकेट

क्र0 सं0	जैकेट के बाहरी भाग की माप से0मी0 में।	साइज			टालरेन्स
		I	II	III	
1.	सामने की लम्बाई	76.0	74.0	72.0	± 1.0
2.	पीछे की लम्बाई	78.0	76.0	74.0	± 1.0
3.	सीने की चौड़ाई	142.0	138.0	134.0	± 1.0
4.	कमर का घेरा	142.0	138.0	134.0	± 1.0
5.	आस्तीन की लम्बाई	65.0	63.0	60.0	± 1.0
6.	आर्म होल (राउन्ड में)	62.0	60.0	58.0	± 1.0
7.	एल्बो (राउन्ड में)	48.0	46.0	46.0	± 1.0
8.	आस्तीन की मोहरी (राउन्ड में)	37.0	36.0	35.0	± 1.0
9.	कालर की लम्बाई	50.0	50.0	50.0	± 1.0
10.	कालर की चौड़ाई	10.0	10.0	10.0	± 0.5
11.	सोल्डर स्ट्रिप की लम्बाई (दो अदद)	19.0	19.0	19.0	± 0.5
12.	सोल्डर स्ट्रिप की चौड़ाई (कन्धे के पास)	6.0	6.0	6.0	–
13.	सोल्डर स्ट्रिप की चौड़ाई (बटन के पास)	4.0	4.0	4.0	–
14.	चेस्ट पाकेट लम्बाई X चौड़ाई (दो अदद)	15 X 15	15 X 15	15 X 15	± 0.5
15.	चेस्ट पाकेट के फ्लैप की चौड़ाई	6.5	6.5	6.5	–
16.	कमर पाकेट, लम्बाई X चौड़ाई (दो अदद)	20X 20	20X 20	20X 20	± 0.5
17.	कमर पाकेट के फ्लैप की चौड़ाई	8.0	8.0	8.0	–
18.	नीचे का दवाब (हेम)	2.5	2.5	2.5	–
19.	चाक (तीरा)	52.0	50.0	50.0	± 1.0
20.	हुड चैन के नीचे पट्टी की माप ल0 X चौ0	5 X 5	5 X 5	5 X 5	–
21.	स्लीब पाकेट की माप लम्बाई X चौड़ाई	19 X 7	19 X 7	19 X 7	–
22.	सामने के पाकेटों में बटन का ब्यास (4 अदद)	1.9	1.9	1.9	–
23.	फैशन पट्टी के ऊपर शो बटनों की संख्या (4) एवं व्यास	1.9	1.9	1.9	–
24.	वेल्को हुक एवं लूप ल0 X चौ0 (6 अदद) फैशन पट्टी के नीचे।	5 X 2.5	5 X 2.5	5 X 2.5	–
25.	सामने की पट्टी (फैशन पट्टी) की ल0 X चौ0	66 X 6	64 X 6	62 X 6	ल0 में ± 1.0
26.	चेस्ट पाकेट के ऊपर बेल्को ल0 X चौ0	11 X 2.0	11 X 2.0	11 X 2.0	–
27.	फैशन पट्टी के भीतरी भाग में टिच बटन/चटखनी की संख्या (4) एवं व्यास	1.6	1.6	1.6	–

9— फर्म द्वारा क्रयादेश के कुल मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि जमानत धनराशि के रूप में सम्बन्धित केता इकाई के पक्ष में जमा की जायेगी। उक्त धनराशि की वापसी सम्पूर्ण आदेशित मात्रा की आपूर्ति संतोषजक रूप से पूर्ण होने के 06 माह बाद की जायेगी।

10— आदेशित मात्रा की आपूर्ति निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण न करने पर फर्म द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि जब्त करने तथा आपके रिस्क व कास्ट पर क्रय करने कार्यवाही की जायेगी तथा फर्म को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

11— निर्धारित अवधि में माल की आपूर्ति न किये जाने पर 1 प्रतिशत पाक्षिक एवं 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अर्थदण्ड बसूला जायेगा, जो 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

12— आदेशित मात्रा की 25 प्रतिशत मात्रा वैरियेशन क्लाज के अन्तर्गत अनुबन्धित अवधि के अन्दर कभी भी घटायी या बढायी जा सकती है।

13— दर अनुबन्ध की बैधता अवधि दिनांकः 01—11—2014 से 31—10—2015 तक मान्य होगी।

संलग्नक— वस्तु का स्पेशीफिकेशन (मानक)

भवदीय,

(डा0 सूर्य कुमार) 1/11/14

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिदेशक के सहायक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

2— समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, पुलिस विभाग, उ0प्र0 को उपरोक्त फर्म से आवश्यकता के अनुसार उपकरण/वस्तु के क्रयार्थ निम्नांकित पते पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है:—

फर्म का पता—
मे0 भारतीय महिला खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थान,
वार्ड नं. 8, ग्राम मोहब्बेवाला,
देहरादून(उत्तराखण्ड)—248001

E-Mail-bmkgddn@gmail.com
Phone-0135-3292361

3— प्रभारी आई0टी0सेल, पुलिस मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित है कि वे उपरोक्त अनुबन्ध को उ0प्र0 पुलिस की वेव साइड पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

4— अनुभाग अधिकारी, अनुभाग—2, पुलिस मुख्यालय , इलाहाबाद को आवश्यकता के अनुरूप खाकी जैकेट के क्रयार्थ अपने स्तर से कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।

जैकेट के हुड अथवा कैप की माप से0मी0में

क0सं0	माप	साइज–I	साइज–II	साइज–III	टालरेन्स
1.	सामने की लम्बाई (माथे से गर्दन तक)	38.0	36.0	36.0	± 1.0
2.	पीछे का घेरा (माथे से गर्दन तक)	58.0	56.0	56.0	± 1.0
3.	हुड की निचले हिस्से की चौड़ाई	55.0	54.0	54.0	± 1.0
4.	हुड के चैन (जिप) की लम्बाई	20.0	20.0	20.0	–
5.	हुड के नायलान कार्ड की लम्बाई	115.0	115.0	115.0	± 1.0
6.	बेल्को हुक एवं लूप 1 अदद	5 X 2.5	5 X 2.5	5 X 2.5	–
	जैकेट का वजन				
1.	जैकेट का कुल वजन (बाहरी भाग,भीतरी भाग एवं हुड सहित)	1450 ग्राम	1350 ग्राम	1250 ग्राम	+5.0 %

जैकेट में प्रयुक्त होने वाले कपड़े एवं अन्य आइटमों के मानक

1– जैकेट के बाहरी भाग में प्रयुक्त किया जाने वाला खाकी टेरीकाट/कोट काम्बेट क्लाथ डिफेन्स मानक आई0एन0डी0/टी0सी0/0043(बी0) के अनुसार होगा परन्तु इसमें प्रिन्टेड खाकी फैब्रिक के स्थान पर मध्यम रंग के डाइड खाकी फेब्रिक का उपयोग किया जायेगा।कपड़े में वाटर रिप्लेन्सी होना आवश्यक है।

2– बटन का मानक–IS–1461–2003 के अनुसार होगा। सामने की पाकेट में शो बटन अच्छी डिजाइन के होंगे।

3– सिलाई के धागे का मानक IS–9543–1980/1992 वैराइटी नं0–4 के अनुसार होगा।

4– बेल्को हुक एवं लूप टेप का मानक IS–8156–1994 के अनुसार होगा। मानक के अनुसार हुक एवं लूप नायलान धागे से निर्मित होगें।

5– चैन (जिप) का मानक IS–14181–2002 पार्ट–I के अनुसार होगा तथा मानक के अनुसार मध्यम स्पेशल चेन का उपयोग किया जायेगा।

6– कार्ड नायलान का मानक जे0एस0एस0–4020–09–1999 वैराइटी के अनुसार होगा।

7– जैकेट का भीतरी भाग (अस्तर) 100 प्रतिशत पालीफिल शीट के ऊपर विन्डशीटर (पॉलिएस्टर कपडे) को सिलकर तैयार किया जायेगा तथा बाहरी भाग के साथ मजबूती से सिला जायेगा। विन्डशीटर तथा पालीफिल का मानक निम्नवत् हैः–

SPECIFICATIONS FOR POLYFILL

1.	Composition	100% Polyester
2.	Weight per sq. meter (gms)	200 ± 5%
3.	Thickness(MM) Min.	7
4.	Recovery from compression%	70
5.	Thermal resistance (Togs)	2.3

SPECIFICATIONS FOR WINDSHEETER(POLYESTER FABRIC)

1.	Composition	100% Polyester, Coated with polyurethane
2.	Ends per DM	520 ± 5%
3.	Picks per DM	340 ± 5%
4.	Weight per sq. meter (gms)	60 ± 5%
5.	Water repllency (Rating) Spray test	90%
6.	Breaking strength (N) Min.	
	a) Warp	600
	b) Weft	380

नोटः—

1— एल्बो पैच गोलाई में लगाया जायेगा, जिसका व्यास 20.0 से0मी0होगा।

2— हुड में 6 से 8 मि0मी0 व्यास की नायलान कार्ड लगी होनी चाहिए, कार्ड के दोनों सिरे मजबूती से प्लास्टिक कैप/टिप से जुडे होने चाहिए।

3— कमर की पाकेट डबल पाकेट होगी अर्थात् सामने एवं साइड में खुलेगी।

4— स्लीब पाकेट लम्बाई में बीच से सिली जायेगी तथा जैकेट के बांयी बांह पर लागायी जायेगी।

5— जैकेट के भीतरी भाग में तीन पाकेट होनी चाहिए जिसमें से दो साइड में होगी तथा एक चेस्ट पर होगी।

6— आस्तीन की मोहरी पर बेल्को लगायी जायेगी।

7— चेस्ट पाकेट एवं कमर पाकेट के फ्लैप तथा कालर एवं सोल्डर फ्लैप में अच्छी क्वालिटी का बकरम लगा होना चाहिए।

8— सिलाई हेतु धागा थ्री प्लाई का होना चाहिए।

9— सिलाई के टांको का घनत्व 1 इंच में 11 टांके अपेक्षित है।

10— जैकेट के सामने की एवं हुड की चैन ओपेन एण्ड फास्टनर के साथ होगी। सामने की जिप/चेन कालर के प्रारम्भ से नीचे तक लगायी जायेगी। चेन इस प्रकार लगायी जायेगी कि जैकेट को पलट कर भी पहना जा सके।

11— जैकेट में प्रयुक्त होने वाले आइटम जैसे बटन, नायलान कार्ड, जिप, हुक एवं लूप टेप (बेल्को) तथा सिलाई का धागा आदि खाकी कलर के होने चाहिए परन्तु जैकेट के अन्तः भाग में प्रस्तुत होने वाले पालिएस्टर कपड़े/विन्डशीटर एवं धागे का कलर काला होना चाहिए।

12— जैकेट की सिलाई इस प्रकार की जायेगी कि उसको पलटकर पहना जा सके अर्थात जैकेट Reversable होगी।

13— चेस्ट एवं कमर पाकेट में काज के दोनों तरफ छोटे साइज की बेल्को लगायी जायेगी।

14— जैकेट की डिजाइन एवं सिलाई फील फिनिश एवं वर्कमैनशिप पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद में उपलब्ध नमूने के अनुरूप होनी चाहिए। नमूना एवं ड्राइंग सिर्फ मार्ग दर्शन के लिये है। यदि नमूने एवं मानक में कुछ भिन्नता हैं तो मानक को आधार माना जायेगा।

15— Essential in house manufacturing facilities:-

(1) At least 100 power driven heavy duty sewing machines for stitches along with purchased documents fully owned by the tendering firm.

(2) Power operated cutter.

(3) Button hole stitching machines

(4) Button stitching M/c.

(5) Heavy press (Ironing).

(6) Inspection/Bond Room facilities.

(7) Essential in house testing facilities as per Requirement.

(8) Self Manufacturing of specified cloth (Basic material used in jacket) or should have contractual arrangement with other firm manufacturing specified cloth along with documentary proof of competent authority.

(9) Firm should have at least 35,000 to 50,000 Jackets per month production capacity.

OUTER FACE OF JACKET

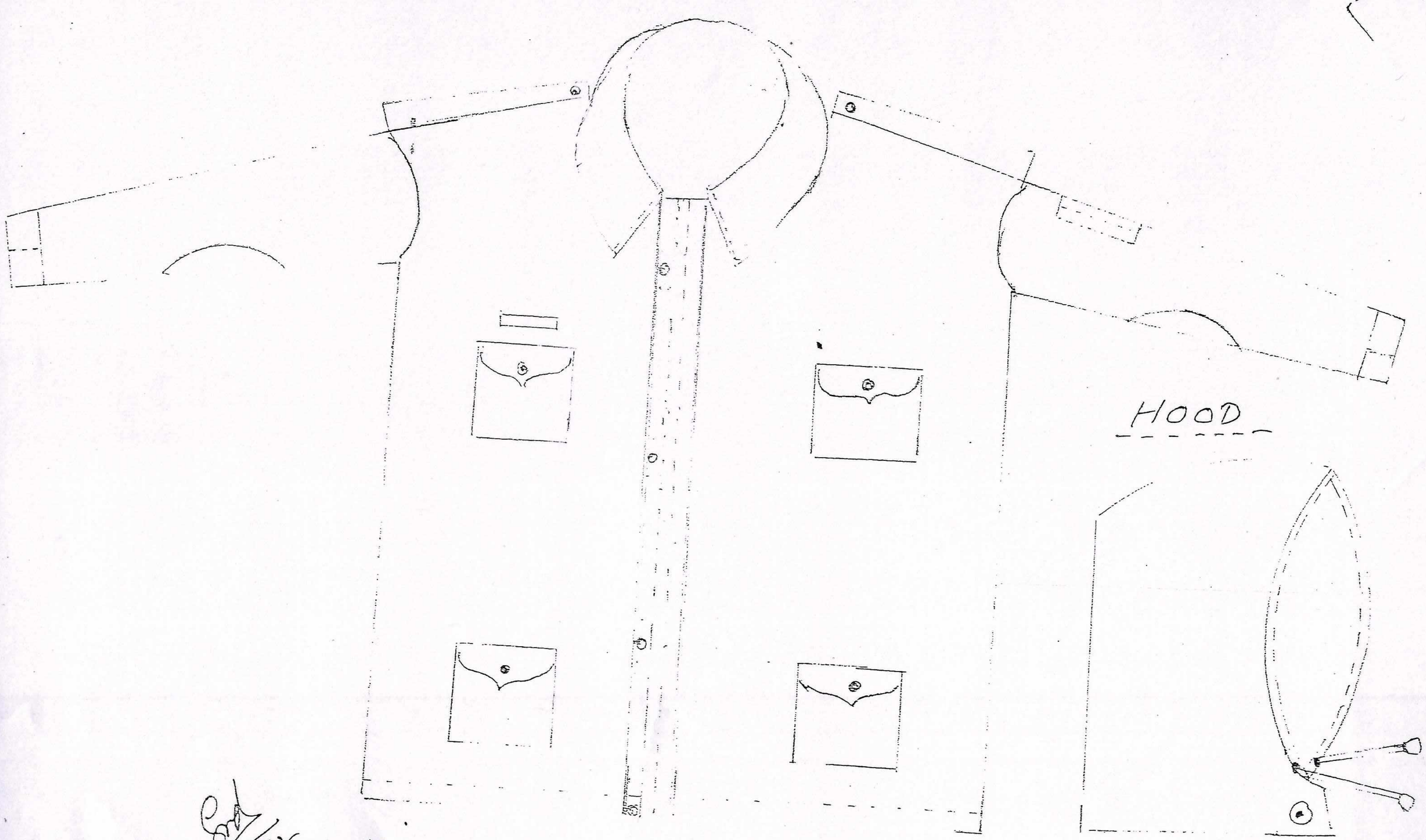

1/9/12